निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 आश्विन 1944 (श0)
(सं0 पटना 888) पटना, वृहस्पतिवार, 20 अक्तूबर, 2022

सं० 3प/बी०आर०जी०एफ०(नीति)17–02/2014/9862/पं०रा०,
पंचायती राज विभाग

संकल्प
14 अक्तूबर 2022

विषयः– **पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ''बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2021'' के अधीन ''धारा–60'' की 'उप–धारा–(1)' द्वारा प्रतिस्थापित कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति एवं 'धारा–87' की 'उप–धारा–(1)' द्वारा प्रतिस्थापित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु निर्धारित वित्तीय अधिसीमा के अधीन वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में।**

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–4599 दिनांक 19.07.2019 (मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–21.06.2019 में मद संख्या–02 के रूप में स्वीकृत) के द्वारा विभाग के नियंत्रणाधीन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की वित्तीय अधिसीमा के अंतर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन निम्नवत् किया गया था:–

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	शक्ति स्वरूप	राशि सीमा
1	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक	बीस करोड़ रु० तक
2	उप विकास आयुक्त	प्रशासनिक	एक करोड़ रु० तक
3	प्रखंड विकास पदाधिकारी	प्रशासनिक	तीस लाख रु० तक
4	ग्राम पंचायत	प्रशासनिक	बीस लाख रु० तक
5	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	बीस करोड़ रु० तक
6	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	एक करोड़ रु० तक
7	सहायक अभियंता	तकनीकी	तीस लाख रु० तक
8	कनीय अभियंता/ तकनीकी सहायक	तकनीकी	बीस लाख रु० तक

2. विधि विभाग की अधिसूचना संख्या–4281 (674) दिनांक–09.08.2021 द्वारा अधिसूचित ''बिहार पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2021'' द्वारा ''बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006'' की 'धारा–60' की उपधारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया गया है:–

''सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को नियुक्त करेगी''।

उसी प्रकार उक्त अधिनियम की 'धारा–87' की उपधारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया गया है।

''बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव अथवा उससे अन्यून पंक्ति का पदाधिकारी जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, अनन्य रूप से जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। सरकार किसी जिला परिषद् के लिए यथा विहित बंधेजों एवं शर्त्तों पर एक अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी।''

3. पंचायती राज विभाग अंतर्गत जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के नियंत्रणाधीन विभिन्न मदों से योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है, प्रतिस्थापित नियमों के अधीन इन योजनाओं के कार्यान्वयन, गतिशीलता एवं अनुश्रवण हेतु यह आवश्यक हो गया है कि संलेख की कंडिका–2 में उल्लिखि संशोधनों को दृष्टिपथ में रखते हुए विभागीय संकल्प सं०–4599 दिनांक–19.07.2019 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त को क्रमशः ₹30.00 लाख एवं ₹1.00 करोड़ की वित्तीय अधिसीमा के अधीन प्रत्यायोजित प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति को क्रमशः कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को प्रदान की जाए।

4. उक्त परिपेक्ष्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति को निम्नरूपेण प्रत्यायोजित किया जाता है:–

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	शक्ति स्वरूप	राशि सीमा
1	जिला पदाधिकारी	प्रशासनिक	बीस करोड़ रु० तक
2	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्	प्रशासनिक	एक करोड़ रु० तक
3	कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति	प्रशासनिक	तीस लाख रु० तक
4	ग्राम पंचायत	प्रशासनिक	बीस लाख रु० तक
5	अधीक्षण अभियंता	तकनीकी	बीस करोड़ रु० तक
6	कार्यपालक अभियंता	तकनीकी	एक करोड़ रु० तक
7	सहायक अभियंता	तकनीकी	तीस लाख रु० तक
8	कनीय अभियंता/ तकनीकी सहायक	तकनीकी	बीस लाख रु० तक

5. पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–4599, दिनांक 19.07.2019 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 13.10.2022 को मद संख्या–04 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश से,
मिहिर कुमार सिंह,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 888-571+300-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in.